साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | **RNI NO. MAH-HIN-2020/84319**

गालीगलौज कर लाठी से प्रहार

गोंदिया-गंगाझरी थाने के तहत बोरा निवासी फिर्यादी नरेंद्रसिंह अनंतसिंह अटरे (34) के साथ आरोपी भारतलाल सुरजलाल लिल्हारे (48), शुभम भारतलाल लिल्हारे (24) व रोहीत भारतलाल लिल्हारे (22) ने हमारे खेत का बिजली का केबल क्यों काटा कहते हुए गालीगलौज की.

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता' के आवेदन अब अस्पतालों के माध्यम से होंगे जमा ऑनलाइन प्रणाली से 8 घंटे के अंदर मिलेंगी मंजूरी

बुलंद गोंदिया। (नागपुर/गोंदिया)-मरीज़ों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ेंऔर तत्काल चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिएमुख्यमंत्री सहायता कोष और धर्मार्थ अस्पताल सहायता प्रकोष्ठ में एक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की जा रही है। यह प्रणाली केवल आठ घंटों के भीतर वित्तीय सहायता की मंज़ूरी को संभव बनाएगी। इस पहल के तहत, इस योजना के लिए आवेदन अब सीधे अस्पतालों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं, न कि स्वयं मरीज़ों द्वारा। इस नई प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 20 अप्रैल को किया गया था।

मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ की स्थापना नागपुर में विशेष रूप से राज्य भर के ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अब तक, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने और आवेदन जमा करने की ज़िम्मेदारी मरीज़ों के रिश्तेदारों की होती थी। हालाँकि, मुख्यमंत्री सहायता कोष और धर्मार्थ अस्पताल सहायता प्रकोष्ठ ने अब एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।जिसके चलते आवेदन मंज़ूरी की पूरी प्रक्रिया अब आठ घंटों के भीतर पूरी हो जाएगी। विशेष रूप से, आवेदन सीधे प्रकोष्ठ से संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से जमा किए जाएंगे, न कि स्वयं मरीज़ों द्वारा। इसके परिणामस्वरूप, मरीज़ों को अब कोई भी आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी, और चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया में काफी तेज़ी लाई जा सकेगी। पिछले कुछ वर्षों में, प्रकोष्ठ मरीज़ों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न बदलाव लागू करता रहा है। इस नई ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत इन चल रहे प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। एक बार जब कोई मरीज़ सभी आवश्यक दस्तावेज़ अस्पताल प्रशासन को जमा कर देता है, तो अस्पताल मंज़ूरी के लिए आवेदन को मुख्यमंत्री सहायता कोष कार्यालय को अग्रेषित कर देगा। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं और निर्धारित नियमों के अनुरूप होते हैं, तो आवेदन मंज़ूरी की प्रक्रिया आठ कार्य घंटों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस पहल से मरीज़ों और उनके परिवारों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है। 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान, पूरे राज्य में 40,776 मरीज़ों को कुल 333,06,81,500 की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। कैंसर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष सेल, ꣳꣳꣳरु फाउंडेशन और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक समझौता ज्ञापन (ꣳꣳ) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (ꣳꣳꣳ) पहलों के तहत विशेष धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ज़रूरतमंद मरीज़ों को उच्च गुणवत्ता वाला चिकित्सा उपचार मिल सके।

नागपुर ज़िले में, पिछले वर्ष कुल 747 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए थे-जिनमें नमो नेत्र संजीवनी शिविर, आरोग्याचा श्री गणेश और विभिन्न अन्य स्वास्थ्य पहलें शामिल थीं। इन शिविरों से कुल 53,422 मरीज़ों को लाभ पहुँचा। यह ऑनलाइन प्रणाली विशेष रूप से इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीज़ों को समय पर चिकित्सा उपचार मिल सके। इसके परिणामस्वरूप, आवेदन अनुमोदन प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आएगी, जिससे मरीज़ों को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा, जो मरीज़ समय पर आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑफ़लाइन सहायता की व्यवस्था-वैसी ही जैसी पहले से मौजूद थी-मुख्यमंत्री सचिवालय (हैदराबाद हाउस, सिविल लाइन्स, नागपुर) में उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष और धर्मार्थ अस्पताल सहायता सेल (नागपुर) के प्रमुख और सदस्य सचिव, डॉ. सागर पांडे ने कहा है कि इस नई प्रणाली को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

जंगली हाथियों का आतंक,गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्रामो में मक्का फसलो का नुकसान,सोलर पैनल को तोड़ा किसानो में दहशत

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील में गड़चिरोली व छत्तीसगढ़ के जंगलो से आये हुये जंगली हाथियों के दल आतंक गत कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। जिसमें मक्के वह अन्य फसलों का नुकसान करने के साथ ही अब खेतों में लगे सोलर पैनलों व अन्य कृषि सामाग्रियो को भी हाथियों के दल द्वारा तोड़ा जा रहा है जिससे किसानों में दहशत निर्माण हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत कुछ समय से छत्तीसगढ़ गडचिरोली से जंगली हाथियों का एक दल गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील में पहुंचकर आतंक मचा रहा है। जिसमें अब तक सैकड़ो एकड़ भूमि पर लगे मक्के व अन्य फसलों का नुकसान करने के साथ ही अब खेतों में लगे सोलर पैनल हो वह अन्य कृषि साहित्य का नुकसान जंगली हाथियों द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जंगली हाथियों में के दल में करीब 30 से 35 हाथियों का समावेश है जिसमें से 14 अप्रैल की रात का कवठा-बोळदे ग्राम के खेत परिसर में फसलों का भारी नुकसान करने के बाद 15 अप्रैल को हाथियों का दल दो दलों में विभाजित हो गया जिसमें से एक दल एमटीडीसी नवेगांव बंध परिसर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया तथा वहीं दूसरे दल के 16 से 17 जंगली हाथियों ने डोंगरगांव कवठा, व बोळदे वह परिसर में रुक कर नुकसान कर रहा है। गुरुवार 16 अप्रैल की रात करीब 11:00 बजे के दौरान हाथियों के दल ने किसान सीताराम कवळू मेंढे के खेत में पहुंचकर मक्के की फसल का भारी नुकसान किया है जिससे हरी भरी फसल कुछ ही समय में बर्बाद हो गई ,उसी रात मंगल मूर्ति रामटेक के खेत परिसर में सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाला सोलर पैनल की भी तोड़फोड़ दल द्वारा की गई है जिससे अब फसल के साथ-साथ आधुनिक कृषि के उपयोग के लिए निर्माण की गई सुविधा को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारी आर्थिक नुकसान किसानों में दहशत अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्रामों में जंगली हाथियों के निरंतर आतंक के चलते किसानों का आर्थिक नुकसान होने के साथ ही फसलों को ध्वस्त कर नाश किया जा रहा है। साथ ही सिंचाई के साधनों व कृषि सामग्रियों की संरचना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे किसानों में दहशत निर्माण हो गई है। जंगली हाथियों से दिलाए निजात ग्रामीणों की मांग कुछ दिनों से अर्जुनी मोरगांव तहसील के वन क्षेत्र में के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आतंक मचा रहे जंगली हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग सावधानी बरतने का आवाहन किया जा रहा है किंतु प्रत्यक्ष रूप से वन विभाग द्वारा हाथियों से बचाव की किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश निर्माण होने के साथ ही वन विभाग से जंगली हाथी मुक्त तहसील करने की मांग की जा रही है।

वनराज की गर्जना से गूंज उठा मुर्दोली का जंगल

बुलंद गोंदिया। नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में हाल ही में शामिल किए गए मुर्दोली के जंगल में वनराज को लेकर अफवाह चल रही थी किंतु 22 अप्रैल की सुबह इन अफवाहों पर लगाम लगाते हुए वनराज की गर्जना सुनाई दी व वन विभाग की नर्सरी परिसर में तीन बाघ दिखाई दिए। गौरतलब है की गोंदिया जिले के संरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत गोरेगांव वन परिक्षेत्र जो पहले क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकार में आता था हाल ही में प्रशासनिक रूप से इसे टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल किया गया है। उपरोक्त मुर्दोली क्षेत्र में पहले से ही वन्यजीवों की विचारण होता था लेकिन बफर जोन में शामिल होने के पश्चात वनराज के मुर्दौली जंगल परिसर में होने की अफवाह चल रही थी. 22 अप्रैल की सुबह वनराज की गर्जना सुनाई देने के साथ ही वन विभाग की नर्सरी से लगे हुए बंड तलाव परिसर में एक दो नहीं तीन बाघों के दर्शन नर्सरी में कार्य कर रहे मजदूरों के साथ-साथ वन कर्मचारियों को भी हुए जिस पर उनकी फोटो वह वीडियो बनाने से वह खुद को रोक नहीं पाए। विशेष यह है कि क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों पर अब वन्य जीव विभाग का अधिकार हो गया है तथा मुर्दौली जंगल परिसर के दोनों और वन्यजीवों के अनुकूल वातावरण होने के कारण बाघों की आबादी बढ़ रही है, जिसके फल स्वरुप बाघों की मौजूदगी अब नवेगांव-नागझिरा टाइगर प्रोजेक्ट के मुख्य कोर क्षेत्र के अलावा बफर क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पूर्व ही तिरोडा वन क्षेत्र के क्षेत्रीय जंगलों में एक मामला सामने आया था जिसमें शिकार की तलाश करते हुए एक बाघ खेत परिसर के कुएं में गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब गोरेगांव वन रेंज के मुर्दोली जंगल में भी बाघ की गर्जना सुनाई दे रही है बुधवार की सुबह वन मजदूर व वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तीन बाघों को एक साथ बंड लेक पर पानी पीते हुए देखे जाने पर प्रत्यक्ष दर्शन कर इनका वीडियो बनाया गया तथा यह वीडियो वर्तमान में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर वायरल हो रहा है तथा यह वीडियो सामने आने से जिले में बाघों की मौजूदगी बढ़ रही है या स्पष्ट हो गया है जिससे पर्यटन को काफी गति मिलेंगी । मानवी हस्तक्षेप जंगलों में बंद हो गोंदिया जिले के संरक्षित वन क्षेत्र में बाघों के साथ-साथ अन्य वन्य जीव विचारण करते हैं जिनमें से अधिकांश क्षेत्र जंगलों से सटे ग्रामों के आसपास होता है तथा बाघ के विचारण में किसी भी प्रकार की बाधा निर्माण ना हो जिससे वन क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप पूर्ण रूप से बंद हो यह समय की मांग है तथा वन्य जीव प्रेमियों द्वारा भी इसे बड़े पैमाने पर वन विभाग से मांग की जा रही है।

वन्य जीव मानवी संघर्ष रोकना वर्तमान समय की मांग

गोंदिया जिले के संरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या बढ़ रही है जिससे आए दिन अनेक क्षेत्रों में मानव व वन्य जीव संघर्ष होता दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रामीणों वह किसानों को अपनी जान गवाने के साथ ही अपने पशुधन का भी नुकसान उठाने के साथ ही फसलों को भी छती हो रही है जिसके चलते अब समय की अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र से लगे ग्रामों की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था वन विभाग द्वारा कड़ी कर मानव व वन्य जीव संघर्ष पर अंकुश लगाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में दोनों सुरक्षित रहे।

बाघ कॉरिडोर को मजबूत करने की आवश्यकता गोंदिया भंडारा जिले के जंगल संरक्षित वन क्षेत्र नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व शामिल है यह मध्य भारत के टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी का काम करते हैं।नागझिरा से पेच , नागझिरा नवेगांव से ताडोबा, नागझिरा उमरेड पवनी करांडला के रास्तों पर पहले एक बड़ा कॉरिडोर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की कान्हा किसली का भी इसमें समावेश होता है किंतु निरंतर यह देखा जा रहा है कि जंगलों के अंदर अतिक्रमण वह अन्य कार्यो से बाघों के आने-जाने के मार्गों में कई बाधायेनिर्माण हो रही है जिससे बाघों का विचारण बाधित होता है ,समय की मांग के अनुसार इन कारीडोरो को और मजबूत करने की कड़ी आवश्यकता है।

घर जमीन के विवाद को लेकर हत्या
लोकल क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के गोरेगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मलपुरी निवासी उसेन सेवकराम रहांगडाले उम्र 60 वर्ष की धारदार हथियार से 18 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा घर जमीन विवाद में हत्या के मामले का खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरेगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मलपुरी निवासी फरियादी विमल ताई उसेन रहांगडाले उम्र 56 वर्ष द्वारा गोरेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति उसेन सेवकरामरहांगडाले उम्र 60 वर्ष यह 18 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे खेत परिसर में गया था लेकिन समय पर वापस न आने तथा देरी होने पर फरिया खेत परिसर में अपने पति को देखने के लिए पहुंची जहां उसके पति मलपुरी तलाव के किनारे पर गिरा हुआ दिखाई दिया। जिस पर आसपास के पड़ोसियों को बुलाकर फरियादी ने पति का देखा तो वह मृत अवस्था में दिखाई दिया तथा उसके गले पर धारदार शस्त्र से वार कर उसकी हत्या अज्ञात आरोपियों द्वारा की गई थी। इस मामले में गोरेगांव पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हत्या जैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने स्वयं मामले का निरीक्षण कर उपरोक्त मामले की जांच गोरेगांव पुलिस थाने के साथ-साथ लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर के दल को सौंप कर मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया। जिस पर लोकल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों व सिपाहियों द्वारा जांच कर गुप्त जानकारी व तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की जिसमें सामने आया कि इस हत्याकांड में हेमराज चेतराम रहांगडाले वह उसका पुत्र राहुल हेमराज रहांगडाले दोनों वर्तमान निवासी सुकड़ी बेलदार बूटीबोरी है। मामले की पुष्टि होने पर पुरुषोत्तम अहेरकर पुलिस निरीक्षक लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा दो पथक तैयार कर आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए रवाना किया गया। 19 अप्रैल को ग्राम सुकड़ी बेलदार बूटीबोरी से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर आरोपी राहुल हेमराज रहांगडाले उम्र 26 वर्ष सुकड़ी बेलदार बूटीबोरी द्वारा बताया कि मृतक उसेन रहांगडाले मलपुरी निवासी के साथ उसके परिवार का गत 5 वर्षों से घर की जमीन का विवाद चल रहा था वह जब भी अपने ग्राम मलपुरी आते तो मृतक के साथ उनका विवाद होता था। इसी आक्रोश के चलते राहुल हेमराज रहांगडाले वह उसके पिता हेमराज चेतराम रहांगडाले द्वारा उनके साथ काम करने वाले राहुल जगराम कुंभरे उम्र 23 वर्ष वार्ड नंबर 5 हनोतिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, करण जगदीश नर्रे उम्र 24 वर्ष पटनिया तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, अभिषेक फुलनसा नरें उम्र 19 वर्ष पटनिया जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा तथा नाबालिक बालक निवासी मयारी निवासी तहसील जुन्नारदेव इनके साथ 10 अप्रैल को पहले घटनास्थल पर आकर जानकारी दी गई थी तथा इसके पश्चात हत्याकांड की साजिश को अंजाम 18 अप्रैल की सुबह बूटीबोरी से आकर मालपुरी गोरेगांव में देकर धारदार हथियार से मृतक की हत्या की। उपरोक्त मामले में गोंदिया लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए गोरेगांव पुलिस थाने के सुपुर्द किया गया ।

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक गौरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे गोंदिया के दिशा निर्देशानुसार लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर के मार्गदर्शन में सपोनी धीरज राजूरकर,सफो राजू मिश्रा, पोहवा दीक्षित कुमार दमाहे,महेश मेहर, सुजीत हलमारे, संजय चौहान, तुलसीदास लूटे, सुबोध बिषेन, इंद्रजीत बिसेन, रियाज शेख, सोमेंद्र सिंह तुरकर, विट्ठल ठाकरे, पोसी राकेश इंदुरकर ,छगन विठ्ले, संतोष केदार, हंसराज भंडारकर, दुर्गेश पाटिल, चापोसी राम खंडारे, घनश्याम कुंभलवार तथा साइबर सेल के पोसी रोशन येरणे, योगेश रहिले, आकिब काझि द्वारा की गई।

उत्तर प्रदेश के वाहन चालक की बाघ नदी में डूबकर मौत

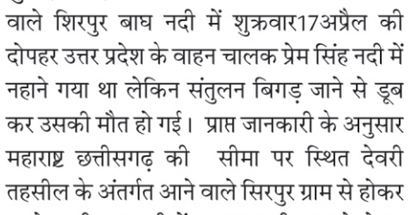

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले शिरपुर बाघ नदी में शुक्रवार17अप्रैल की दोपहर उत्तर प्रदेश के वाहन चालक प्रेम सिंह नदी में नहाने गया था लेकिन संतुलन बिगड़ जाने से डूब कर उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले सिरपुर ग्राम से होकर बहने वाली बाघ नदी में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग से जाते समय उत्तर प्रदेश के वाहन चालक प्रेम सिंह उम्र 34 वर्ष यह नहाने के लिए नदी में गया था किंतु संतुलन बिगड़ जाने से वह गहरे पानी में जाकर डूब गया। इसकी जानकारी जिला आपदा प्रबंधन विभाग को मिलते ही शोध व बचाव पथक को रवाना कर डूबे हुए वाहन चालक की तलाश शुरू की जिसमें कुछ घंटे की तलाशी के पश्चात मृतक के शव को निकाला गया। उपरोक्त मामले में देवरी पुलिस आने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई।

संपादकिय...

'तार्किक विसंगति' कौन चिडिया़ ?

भारत के चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य रहा है-'एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए।' आज के दौर में यह आदर्श वाक्य 'अनादर्श' में तबदील होकर गायब हो गया है। हम चुनाव आयोग के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का विश्लेषण करते आए हैं और हमने सवाल भी उठाए हैं। जिस संविधान ने चुनाव आयोग को विशेष शक्तियां दी हैं, उसी संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं। मताधिकार उन्हीं में से एक है। मताधिकार हमारे लोकतंत्र की संजीवनी है, रीढ़ है, क्योंकि मताधिकार के जरिए ही हम अपने जन-प्रतिनिधियों को चुनते हैं। वे संसद और विधानसभा में बैठ कर लोकतंत्र की राष्ट्रीय व्यवस्था संचालित करते हैं। इससे भयानक, क्रूर विडंबना और लोकतंत्र का दुर्भाग्य क्या होगा कि चुनाव आयोग ही मताधिकार छीन रहा है और असंख्य मतदाताओं के नाम काट चुका है। आज गुरुवार, 23 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान है, 152 सीटों पर लोग मताधिकार का प्रयोग करके अपना जनादेश तय करेंगे, लेकिन 14,28,771 मतदाताओं को 'तार्किक विसंगति' की श्रेणी में रख कर उनके मताधिकार को अधर में लटका दिया गया है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसके संदर्भ में 12,87,622 मतदाताओं के नाम पर 'लाल लकीर' फेर दी गई है। आखिर यह 'तार्किक विसंगति' किस चिडिया़ का नाम है? संविधान में इसके तहत कोई और विशेषाधिकार निहित नहीं हैं। ऐसे सवाल देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त भी उठा रहे हैं और आयोग के आदर्श वाक्य पर हैरान और क्षुब्ध हैं। बंगाल में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सीधा, स्पष्ट आदेश नहीं दिया है कि विचाराधीन लोगों को कमोबेश वोट डालने दिया जाए, क्योंकि वे मतदाता सूचियों में दर्ज रहे हैं। ऐसी विशेष शक्तियां संविधान ने न्यायपालिका, खासकर सर्वोच्च अदालत को भी दी हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह तो आदेश दिया था कि जिनकी अपील स्वीकार हो जाती है, उन मतदाताओं की एक पूरक सूची 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रकाशित की जाए और उन्हें वोट देने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। सवाल है कि मतदान तो शुरू हो चुका है, लेकिन पूरक सूची कहां है? चुनाव आयोग कमोबेश प्रेस वार्ता कर यह स्पष्ट कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खामोश क्यों रहते हैं? जब राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जाते हैं, तो वह फटकार कर उन्हें बोल देते हैं-दफा हो जाओ! यह क्या है? क्या ज्ञानेश कुमार सामंतवादी, एकाधिकारवादी हैं? सवालिया यह भी है कि अपील सुनने वाले सभी 19 ट्रिब्यूनल भी कहां हैं? यह सवाल सर्वोच्च अदालत ने कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछा है। 'तार्किक विसंगति' अन्य राज्यों के एसआईआर में तो तय नहीं की गई। उप्र में भी 2.89 करोड़ मतदाता विचाराधीन थे। वहां मामला कैसे निपट गया? इसके अलावा, 85 लाख और मतदाता कहां से आ गए? बिहार में भी 10,000 से कम मतदाताओं के नाम सवालिया थे, लिहाजा विचाराधीन थे। वहां तो 'तार्किक विसंगति' नहीं बनाई गई। दरअसल अंग्रेजी में लिखे नामों की वर्तनी (स्पेलिंग) कई तरह से लिखी जाती है। मसलन-'चौधरी' शब्द की वर्तनी ही दसियों तरीके से लिखी जाती है। क्या महज इसी आधार पर किसी का मताधिकार छीना जा सकता है?

किताबों की बेशकीमती ताकत को पहचानो-विश्व पुस्तक व प्रकाशनाधिकार दिवस विशेष 23 अप्रैल

1995 से हर साल यूनेस्को 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाता है, 100 से ज़्यादा देशों में पढ़ने, प्रकाशन और प्रकाशनाधिकार को बढ़ावा देता है। यह विशेष दिवस हमें पुस्तकों के करीब जाकर उसकी महत्ता को जीवन में उतारने के लक्ष्य को साधने के लिए प्रेरित करता हैं। इस साल 2026 के लिए विश्व पुस्तक दिवस की थीम, अपनी शैलीनुसार पढ़ें यह है, जो पढ़ने के शौक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह शैली दर्शाती है कि, जिस प्रकार के भी साहित्य में रूचि हो, वह पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें। पुस्तकें जीवन का प्रतिबिंब होती है, सच और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पुस्तकें प्रेरित करती हैं। दुनिया भर के महानतम व्यक्ति अपनी खास उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुए। पैसा, शोहरत, नाम, काम और व्यस्तता के बावजूद और हर मिनट के लाखों रुपये कमानेवाले उद्योगपति, खेल जगत के खिलाडी, नेता और फिल्मी नायक भी पुस्तकें पढ़ने के लिए रोजाना अपना कीमती समय थोड़ा ही सही लेकिन निकालते जरूर हैं।

क्या हम कभी पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक समस्या से जूझने पर अपना एक वक्त का भोजन छोड़कर उससे पैसे बचाकर पुस्तकें खरीदने की कोशिश की हैं। विश्व में ज्ञान का प्रतिक कहलानेवाले भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने तंगी के दिनों में पुस्तकें खरीदने के लिए एक वक्त का भोजन तक त्याग दिया था, ताकि ज्ञानरूपी पुस्तकों का तेज आत्मसात कर सकें, ये होता है किताब के प्रति जूनून और किताब की महत्ता की समझ। अधिकतर बड़े-बड़े लोग अक्सर अपने घर में ही पुस्तकों का संग्रह बना लेते है, अर्थात निजी पुस्तकालय के तौर पर। पुस्तकों से बेहतर दुनिया में कोई साथी नहीं होता, पुस्तकें हमेशा हमें योग्य दिशा में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करते है, पुस्तकें हमारे खाली समय को ज्ञान से सींचते है, बुद्धि को तिष्ण, जागरूक, समझदार बनाकर सत्य और असत्य के बिच अंतर करना सिखाते हैं। हम पुस्तकों और शिक्षा के बल पर दुनियाभर में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

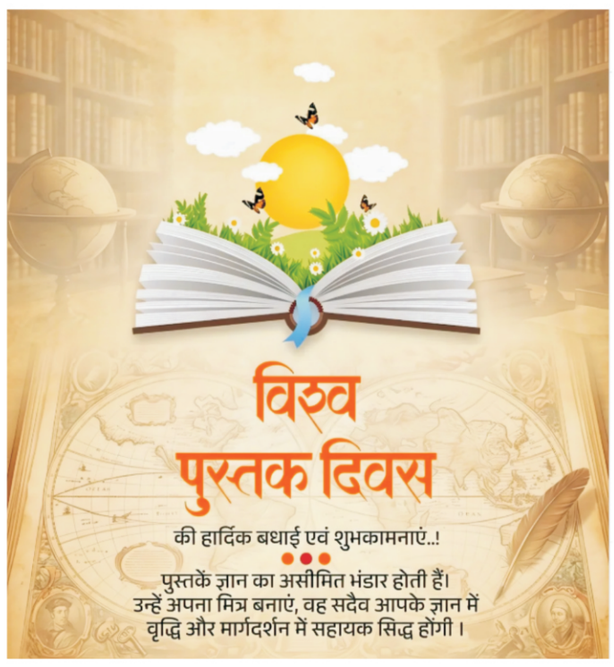

विश्व पुस्तक दिवस पढ़ने, किताबें, प्रकाशन, लेखक सम्मान और प्रतिलिप्यधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता हैं। आधुनिक ज़िंदगी में किताबों की अहमियत आज भी अद्वितीय हैं। किताबें हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं, मनोरंजन करती हैं और अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और पीढ़ियों से जोड़ती हैं। किताबों को सभी उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा आसान बनाना, विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस का उद्देश्य पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देना, प्रकाशन व साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाना, बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता निर्माण करना, साथ ही समाज के प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तकों तक सहज उपलब्धता लाना मुख्य उद्देश्य हैं। पुस्तकें कल्पना और सर्जनशीलता विकसित कर भाषा और संवाद कौशल बेहतर बनाती है, संस्कृति और इतिहास का जतन करके अलग-अलग पीढ़ियों के पाठकों को आपस में जोड़ती है, साथ ही शिक्षा और ज़िंदगी भर सीखने में मदद करती हैं। नियमित पाठन से शब्दसंग्रह, एकाग्रता, आत्मविश्वास और विचारशक्ती कौशल बेहतर होती हैं।

आज विश्व किताब दिवस किताबों की खुशी और ताकत का जश्न मनाने का एक शानदार मौका हैं। पसंदीदा एक नई किताब पढ़कर, पुस्तकालयों को भेट देकर, दोस्तों रिश्तेदारों या परिचितों से किताबों का आदान-प्रदान करके अथवा किसी में पढ़ने की ललक जगाकर यह दिन मनाया जाना चाहिए। अपनी पसंदीदा पुस्तकों के बारे में अन्य लोगों या मित्रों से विचार-विमर्श करना चाहिए, हमें यह पुस्तक क्यों पसंद है एवं अन्य पाठकों को भी यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर वह पुस्तक पढ़ने के लिए उत्सुक हों। अच्छी किताबों को हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि योग्य किताबें पाठकों तक आसानी से पहुंच सकें, जो मनुष्य किताबों से दोस्ती करता है, उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने से कभी कोई रोक नहीं सकता, किताबों में समस्या का समाधान छुपा होता हैं। किताबें कभी कोई शिकायत नहीं करती, वें बस निरंतर ज्ञान की गंगा बहाते चलती हैं। जिसने उसे अपनाया जो सवर गया, जिसने किताबों की महत्ता नहीं समझी वो पिछड़ गया।

आज के इंटरनेट के जमाने में पुस्तकों का स्वरूप डिजिटल हुआ है, एक क्लिक पर पुस्तकें हमें सहज उपलब्ध हो जाती है, अर्थात पुस्तकों तक सहज पहुंच होने के बावजूद आज पाठ्य संस्कृति कमजोर होती नजर आती हैं। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की गिरफ्त में फंसती जा रही है, पढाई के नाम पर किताबों के बजाय शॉर्टकट नोट्स पर आधारित रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट नोट्स विद्यार्थियों को केवल कुछ सवालों के मर्यादित जवाब प्रदान करते है और सिर्फ नाममात्र की पदवी प्राप्त करने में सहयोगी है, परंतु विषय के गहन ज्ञान की बात करे या जीवन के हर पड़ाव पर उस ज्ञान के महत्ता पर बात करे तो यही विद्यार्थी फिसड्डी साबित होते है, क्योंकि युवाओं ने गहन ज्ञान रूपी किताबों की महत्ता को न समझा, न पढ़ा कभी। ऐसे माहौल में जब जीवन की परिस्थितियां असंगत या मुश्किलों का दौर आता है तो मनुष्य डगमगाता है, समस्याओं को आसानी से हल करने के बजाय उससे भागता है, जिसके कारण हताशा, आत्महत्या, अपराध और नशाखोरी की समस्याओं का तेजी से जन्म होता है और जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता हैं। किताबें हर मुश्किल में साथ निभाते है, जिसने इन्हें जान लिया वें फिर किसी समस्या में फसते नहीं है क्योंकि सफलता उनके कदम चूमती हैं। सबसे पहले किताबें पढ़ने की आदत डालें, समय का सदुपयोग करें, ज्ञानी और जागरूक बने एवं जीवनभर किताबों से दोस्ती निभाओं, फिर किताबें हमेशा हमारा साथ निभाएंगे।

- डॉ. प्रितम भि. गेडाम

गोंदियाः फर्जी हलफनामा और दस्तावेज बनाकर कोर्ट में किया पेश, आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग

बुलंद गोंदिया। गोंदिया (महाराष्ट्र) में फर्जी हलफनामा बनाकर न्यायालय को गुमराह करने तथा जालसाजी करने का गंभीर मामला सामने आया है।फर्यादी गंगाराम तन्नूमल कारड़ा (उम्र 53 वर्ष) सिंधी कॉलोनी, गोंदिया ने पुलिस थाना गोंदिया में शिकायत दर्ज कि राम मुकेश कारड़ा (निवासी रायपुर, छत्तीसगढ़) द्वारा फर्जी हलफनामे तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। शिकायत के अनुसार 10सित 2025 (केस क्रमांक 25/2022) तथा 03दिस 2025 (क्रिमिनल अपील क्रमांक 1228/2025) के संदर्भ में प्रस्तुत हलफनामों में तन्नूमल आरतमल कारड़ा को हलफनामाकर्ता के रूप में दर्शाया गया है।

फर्यादी का कहना है कि संबंधित अधिवक्ता सचिन बोरकर उसी दिन गोंदिया न्यायालय में अन्य मामलों में उपस्थित थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रायपुर में उनकी उपस्थिति संभव नहीं थी। मोबाइल नंबरों की लोकेशन रिकॉर्ड के आधार पर भी यह दावा किया गया है कि हलफनामे फर्जी तरीके से तैयार किए गए। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं और नोटरी रजिस्टर में आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किया गया है। फर्यादी ने भारतीय न्याय संहिता (ब्नह्स) की विभिन्न धाराओं जैसे 318 (धोखाधड़ी), 336 (जालसाजी), 338 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 340 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग), 61 (आपराधिक षड्यंत्र) आदि के तहत स्नह्वक्रदर्ज कर जांच करने की मांग की है। फर्यादी ने पुलिस से अनुरोध किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिवक्ता, नोटरी एवं अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा न्यायालय में प्रस्तुत कथित फर्जी दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाए।

पूरा मामला

गोरेगाव नगर अंतर्गत कारडा परिवार की जमीन व उस पर खडी राईस मिल एवं अन्य निर्माण करोड़ो रुपयों की संपत्ती है, जिसके फर्जी दस्तावेज बनाकर कम दामों में फर्जी तरिके से बिक्री किया गया। इस मामले पर 27 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी गोंदिया एस.ए. शेंडगे की कोर्ट ने पांच लोगो पर अपराअधिक मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिये हैं. परंतु गोरेगांव पुलिस थाने द्वारा कोर्ट के आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद तत्काल एफआईआर दर्ज न करने व उसे तीन दिन लटकाकर 30 नवंबर 2025 को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज करने पर इसे प्रथम सत्र न्यायालय ने कोर्ट की अवहेलना मानकर इसे अपने कर्तव्य का अनुपालन न करने का जिक्र भी आदेश में किया था। गोरेगांव पुलिस ने 30 नवंबर को फिर्यादी गंगाराम उर्फ गुड्डू कारडा की शिकायत पर गोरेगाव पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61,336(3),(4),338, 340(2), 319 के तहत मामला दर्ज किया था. जिन लोगो पर एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमे गोरेगाव के लक्ष्मीकांत दौलत बारेवार, मुकेश कारडा (रायपूर), कुंवरलाल भोयर, अतिक अहमद (राजनंदगाव), मनिष मोहनराव बोरकुटे मामा चौक गोंदिया का समावेश हैं. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 8 दिसंबर के आदेश में कहा है कि पुलिस स्टेशन गोरेगांव में पीएसआई सुजीत घोलप ने कोर्ट के आदेश का पालन नही किया। कोर्ट ने ये भी कहा कि, ये लापरवाही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत बॉम्बे पुलिस एक्ट 145(2) के तहत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकरण पर आरोपीयों पर आरोप हैं की इन लोगो ने फिर्यादी के गोरेगाव स्थित परिवार की पेतृक जमीन जो उनके पिता को उनके दादा से मिली थी, उस जमीन को उनके पिता का फर्जी सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड पर फोटो, फर्जी हस्ताक्षर, अंगुठा निशान लगाकर करोड़ो की जमीन कम दामों में अनाधिकृत रूप से बेच दी. इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने के बावजूद अबतक आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होना, इस अपराध को छुपाने का प्रयास माना जा रहा है। अब आरोपी मुकेश कारडा के बेटे द्वारा फर्जी हलफनामे कोर्ट में पेश करने का संगीन खुलासा सामने आया है। इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

खाद्यपदार्थ विक्रेता 'चीज़ एनालॉग उत्पादों पर साफ़-साफ़ लेबल लगाएं - अमृता शिर्के

बुलंद गोंदिया। रेस्टोरेंट, कैटरर, होटल और फ़ास्ट-फ़ूड विक्रेताओं के लिए यह ज़रूरी है कि जब वे ऐसे उत्पाद बेचें, तो अपने मेनू पर ÒCheese AnalogÓ के इस्तेमाल के बारे में साफ़-साफ़ बताएं। ऐसा न करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन माना जाएगा, और दोषी के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त (खाद्य),अमृता शिर्के ने जनता से अपील की है कि अगर उन्हें किसी खाने के विक्रेता के मेनू पर ऐसी कोई जानकारी न मिले, तो वे टोल-फ़्री हेल्पलाइन नंबर 1800-222-365 पर शिकायत दर्ज कराएं।

पनीर और Cheese Analog में अंतर- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 2.1.16 के अनुसार, पनीर को एक ऐसे उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो पूरी तरह से दूध से बना होता है। इसके विपरीत, "Dairy Analog" एक ऐसा उत्पाद है जिसे दूध के अलावा अन्य सामग्री-जैसे खाने के तेल, स्टार्च, इमल्सीफ़ायर और अन्य योजक-का उपयोग करके बनाया जाता है; यह देखने में तो पनीर जैसा लगता है, लेकिन पनीर नहीं होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, यह उत्पाद "Cheese Analog" की श्रेणी में आता है। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और औषधि प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई है कि विभिन्न रेस्टोरेंट, कैटरर, होटल और फ़ास्ट-फ़ूड प्रतिष्ठानों में खाने की चीज़ें बनाने में "Cheese Analog" का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि ये प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को इस इस्तेमाल के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा, बाज़ार के कुछ हिस्सों में, "Paneer Analog" या "Cheese Analog" जैसे उत्पादों को ऩपनीरऩ या "Cheese" के नाम से, या उनसे मिलते-जुलते नामों से बेचा जा रहा है। इस प्रथा के कारण उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो रहा है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधान

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(2)(e) के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें खाद्य उत्पादों में मौजूद सामग्री के बारे में जानकारी हो, ताकि वे अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में सोच-समझकर फ़ैसले ले सकें। इसके अलावा, Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 के Chapter x ·Ô¤ Regulation 9(6) के अनुसार, हर Food Business Operator को बिक्री के स्थान पर ग्राहकों के लिए पोषण संबंधी जानकारी, सामग्री और स्वास्थ्य से जुड़े ज़रूरी संदेशों को दिखाना ज़रूरी है।

"Cheese Analog"बनाने वाले और सप्लाई करने वाले, जिनके पास राज्य का लाइसेंस है, उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि "Cheese Analog" को बेचते या सप्लाई करते समय, Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, उस खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग भ्रामक या गुमराह करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, लेबलिंग में खाद्य उत्पाद की असली प्रकृति साफ़ तौर पर बताई जानी चाहिए। साथ ही, Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 के तहत तय की गई "General Labelling Requirements" का पालन करते हुए, बिक्री के इनवॉइस में उत्पाद को साफ़ तौर पर "Dairy Analog Cheese" के रूप में पहचाना जाना चाहिए। उत्पादों पर साफ़ तौर पर "Analog" लेबल लगाना अनिवार्य है। अगर रेस्टोरेंट, कैटरर, होटल या फ़ास्ट-फ़ूड बेचने वाले जैसी जगहें "Cheese Analog"का इस्तेमाल करके खाने की चीज़ें बनाती हैं, तो उन्हें बिक्री के स्थान पर दिए जाने वाले बिलों पर, साथ ही मेनू कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और ऐसी ही दूसरी जगहों पर, जहाँ खाना परोसा जाता है, इस बात का साफ़ तौर पर ज़िक्र करना ज़रूरी है।

ग्राहकों के लिए सावधानियाँ

भारतीय पनीर खरीदते समय, पैकेट वाले उत्पादों पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें। जाँचें कि क्या उस पर "Analog" शब्द लिखा है। खुला "Cheese Analog" खरीदते समय, बेचने वाले से पता करें कि क्या वह शुद्ध दूध से बना है। अगर आपको कोई शक हो, तो बिल माँगें। होटल में खाना खाते समय, मेनू कार्ड को जाँचें ताकि यह पक्का हो सके कि Paneer और "Cheese Analog" दो अलग-अलग खाद्य पदार्थों के रूप में सूचीबद्ध हैं, और उसी के अनुसार अपना ऑर्डर दें। हालाँकि "Analog" उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन उनकी सामग्री और पोषण संबंधी मान असली Paneer से अलग होते हैं। इसलिए, ग्राहकों को धोखे से बचाने के लिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।

खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्देश

यदि राज्य के भीतर कोई भी रेस्तरां, कैटरर, होटल, फास्ट-फूड विक्रेता, चीज़ एनालॉग के निर्माता, पनीर के निर्माता, या आपूर्तिकर्ता कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो प्रशासन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006% तथा उससे संबंधित नियमों और विनियमों के तहत संबंधित पक्षों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा।

होटल और रेस्तरां संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वे आपूर्तिकर्ताओं से पनीर या एनालॉग उत्पाद खरीदते हैं, तो इन खाद्य पदार्थों की विशिष्ट प्रकृति (असली या नकली होने की जानकारी) खरीद के इनवॉइस पर स्पष्ट रूप से अंकित हो; केवल इसकी पुष्टि करने के बाद ही उन्हें खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए।

प्रशासन ने पनीर और चीज़ एनालॉग से संबंधित उपर्युक्त अनिवार्य प्रक्रियाओं के संबंध में होटल और रेस्तरां संचालकों को, उन मोबाइल या टेलीफोन संपर्क नंबरों के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं, जो इन खाद्य व्यवसाय संचालकों ने अपना खाद्य लाइसेंस प्राप्त करते समय उपलब्ध कराए थे।

तथापि, उन खाद्य व्यवसाय संचालकों या लाइसेंस धारकों के संबंध में, जिन्होंने... जिन खाद्य व्यवसाय संचालकों ने अपना लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करते समय अपनी स्वयं की ईमेल ङ्कष्ठ और मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कराया-और इसके बजाय किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के संपर्क विवरण प्रदान किए-उन्हें इसके द्वारा एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जाता है- उन्हें तत्काल अपने लाइसेंस/पंजीकरण रिकॉर्ड को अद्यतन करते हुए उसमें अपनी स्वयं की व्यक्तिगत ईमेल ङ्कष्ठ और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे-पाटिल ने आगे यह कड़ी चेतावनी भी जारी की है कि इन निर्देशों का पालन न करने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन गोंदिया, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति सदैव सतर्क रहता है और खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा भ्रामक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

सहायक आयुक्त (खाद्य) अमृता शिर्के ने गोंदिया जिले की जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार से गुमराह किए जाने का कोई मामला सामने आता है, तो वे प्रशासन की टोल-फ्री हेल्पलाइन-1800-222-365-पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

रेल्वे व्यस्त रुट के बावजूद रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य तीव्रगति से- विधायक विनोद अग्रवाल

रेल्वे के हिस्से को छोड़, सभी पिल्लर पूर्ण, एप्रोच रोड का कार्य प्रगति पर, रेलवे हिस्से के स्टील गर्डर कार्य नागपुर और इंदौर में शुरू

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाले पुराने रेलवे ओवर ब्रिज के जर्जर एवं धोखादायक स्थिति में होने पर इसे मई 2022 में यातायात हेतु पूर्णत: बंद कर दिया गया था। 553 मीटर के इसी स्थान पर नए रेल्वे ब्रिज के निर्माण हेतु 47 करोड़ 68 लाख रुपये मंजूर कर विधायक विनोद अग्रवाल ने अनेक बार रेल अधिकारियों और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इसके निर्माण कार्य की शुरुवात फरवरी 2024 में करवाकर तेजगति देने का प्रयास किया। आज स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में पुराने रेल्वे ब्रिज की जगह निर्माणाधीन नया ब्रिज का निर्माण कार्य तीव्र गति से शुरू होकर इसके सभी पिल्लर (रेल्वे हिस्से को छोड़कर) पूर्ण हो चुके है। साथ ही रेलवे के हिस्से के पिल्लर हेतु भी खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है जो सबसे जटील प्रक्रिया रही। इसके अलावा एप्रोच रोड का कार्य प्रारंभ है।

ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य स्थिति पर जानकारी देते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने बताया कि, शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला नेहरू चौक के समीप का नया रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। मुंबई-हावड़ा रुट के साथ ही जबलपुर-चेन्नई रेल रुट अतिव्यस्त होने से इस ब्रिज के रेल्वे हिस्से में थोड़ी देरी निर्माण हो रही है। प्रतिदिन इस रूट पर 200 से अधिक यात्री ट्रेन एवं इतनी ही मालगाड़ियां गुजरती है। ऐसे में रेलवे ब्रिज के साथ ही मरारटोली, हड्डिटोली रेल्वे ब्रिज के निर्माण को लेकर योजना पर रेल विभाग कार्य कर रहा है।

इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उड़ान पुल का निर्माण कार्य रेलवे विभाग के निरंतर संपर्क में रहकर किया जा रहा है। ये ब्रिज गोंदिया रेल्वे स्टेशन के नजदीक होने के कारण, रेलवे विभाग की बिजली केबल, टेलीफोन केबल, सिग्नल केबल और पानी की पाइपलाइन फ्लाईओवर पुल के पिलर निर्माण स्थल से होकर गुजरती हैं। इसलिए, रेलगाड़ियों की आवाजाही को रोके बिना इन सभी सुविधाओं को कहीं और स्थानांतरित करना बेहद जटिल और कठिन है। इसी कारण फ्लाईओवर पुल के निर्माण कार्य में थोड़ा समय लग रहा है।15 अप्रैल 2026 को पीडब्ल्यूडी और रेल उक्त दोनों विभागों से संपर्क कर एक संयुक्त बैठक ली थीं, जहां नागपुर रेलवे डिवीजन के मुख्य अधिकारी ने आश्वत किया कि उक्त फ्लाईओवर के कार्य को तेजगति प्रदान की जायेगी। वर्तमान में, उक्त पुल के रेलवे ट्रैक वाले हिस्से को छोड़कर, सभी पिलर और पिलर कैंप का निर्माण हो चुका है और अप्रोच रोड (आर आई वाल) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही, उक्त गैर-रेलवे हिस्से का गर्डर भी निर्माणाधीन है।

गोंदिया में काम करना संभव न होने के कारण, स्टील गर्डर निर्माण का काम नागपुर एमआईडीसी स्थित रॉयल इंजीनियरिंग में चल रहा है। उक्त स्टील गर्डर निर्माण का काम पूरा होते ही गर्डर लॉन्चिंग और स्लैब का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही, इंदौर में रेलवे ट्रैक के हिस्से पर स्टील गर्डर (ओडब्ल्यूजी) का काम भी चल रहा है। एक तरफ सौंदड स्थित राष्ट्रीय महामार्ग पर जहां सिंगल रेल रुट होने के बावजूद पुल का निर्माण कार्य पिछले 8 वर्षों से लटका पड़ा है वही तिरोडा स्थित काचेवानी रेलवे फ्लाईओवर और आमगांव के कीडंगीपार का रेल्वे ब्रिज मंजूर होकर कार्य लटका पड़ा है। इसके बावजूद गोंदिया के नेहरू चौक रेलवे ब्रिज के साथ तीनों ब्रिज का कार्य तेजगति पर होना विधायक विनोद अग्रवाल के सतत कार्यशैली को दर्शाता है। रेलवे हिस्से का कार्य जल्द गति से निर्माण हो इसके लेकर विधायक विनोद अग्रवाल मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से लगातार संपर्क में होकर कार्य को जल्दगति देने का प्रयास कर रहे है।

आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में खामियां जल्द ही दूर की जाएंगी - पालक मंत्री इंद्रनील नाइक

बुलंद गोंदिया। चूंकि गोंदिया जिला राज्य सीमा पर स्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से मरीज अक्सर चिकित्सा उपचार के लिए इस जिले में आते हैं। ये आने वाले मरीज भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले लाभों का फायदा उठाते हैं। हालांकि, मौजूदा व्यवस्था के तहत, इन मरीजों को दिए गए उपचार के लिए पड़ोसी राज्यों से महाराष्ट्र को धनराशि के भुगतान में देरी हो रही है। जिला पालक मंत्री इंद्रनील नाइक ने कहा कि इन प्रक्रियात्मक खामियों को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा; उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को संबंधित दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें करके शीघ्रता से सुलझाया जाएगा।

नियोजन भवन में आयोजित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निगरानी समिति की बैठक के दौरान बोल रहे थे। इस बैठक में विधायक राजकुमार बडोले और विनोद अग्रवाल; पूर्व विधायक राजेंद्र जैन; जिला सिविल सर्जन डॉ. पुरुषोत्तम पटले; जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोलहार; उप जिलाधिकारी (सामान्य) मानसी पाटिल; और निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.डी. जायसवाल, डॉ. जयंती पटले और डॉ. रोशन कांतोडे उपस्थित थे। पालक मंत्री नाइक ने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र के आम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं। वर्तमान में, इन दोनों योजनाओं को एकीकृत तरीके से लागू किया जा रहा है-एक संयुक्त पहल जिसे अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना के रूप में नामित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार मिले। इस एकीकृत योजना के तहत, जिन व्यक्तियों ने %आयुष्मान कार्ड% प्राप्त कर लिया है, वे प्रति परिवार, प्रति वर्ष ?5 लाख तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद होने वाले खर्च-जैसे दवाओं की लागत, जांच परीक्षण और सर्जरी-इस योजना के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पहले इस तथ्य के संबंध में चिंता जताई थी कि गरीब और वंचित स्थानीय निवासियों को इस योजना के लाभ समय पर नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों के नागरिक-जिनकी सीमा गोंदिया ज़िले से लगती है-इस योजना के तहत चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए गोंदिया आते हैं। जहाँ इन लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान की जाती है, वहीं दोनों पड़ोसी राज्यों की सरकारों की ओर से धनराशि जारी करने में अक्सर काफ़ी देरी होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और राज्य के मुख्यमंत्री की संयुक्त पहल के माध्यम से, इस योजना में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने के मामले में गोंदिया ज़िला वर्तमान में राज्य में तीसरे स्थान पर है। आज भारत में महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सरकार 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को HPV वैक्सीन मुफ़्त में उपलब्ध करा रही है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए, पालक मंत्री इंद्रनील नाइक ने अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी मीडिया चैनल पर फैल रही अफ़वाहों पर भरोसा न करें, बल्कि अपनी बेटियों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उन्हें HPV का टीका ज़रूर लगवाएँ।

लापता युवक की वैनगंगा में तलाश

भंडारा-शहर के गांधी वार्ड निवासी 25 वर्षीय लकी मेहर मंगलवार से लापता है. उसकी बाइक और चप्पल वैनगंगा नदी के पुल पर मिलने से आशंका जताई जा रही है कि उसने नदी में छलांग लगाई हो सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, लकी मेहर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में कार्यरत था. मंगलवार को वह घर से बाहर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. चिंतित परिजनों ने उसकी काफी तलाश की और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने कारधा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. सूचना के आधार पर पुलिस ने स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में खोज अभियान शुरू किया. दिनभर तलाश के बावजूद अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और खोज अभियान जारी है.

देह त्याग पर ज्ञान का उदय

रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी की प्रेरणा से देहदान

भंडारा, ब्यूरो. साकोली तहसील के शिरेगावटोला गांव निवासी खुशाल धोंडुजी पुराम (76) का हाल ही में निधन हो गया. उनकी इच्छा के अनुसार परिजनों ने मरणोपरांत देहदान कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया. जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी की प्रेरणा से यह 200वां देहदान संपन्न हुआ है. स्वर्गीय पुराम का पार्थिव शरीर नागपुर स्थित एन.के.पी. सालवे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं लता मंगेशकर अस्पताल को सौंपा गया. इस देहदान का उपयोग चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन में किया जाएगा. अब तक 156 अंगदानों में 133 नेत्रदान और 23 त्वचादान संपन्न हो चुके हैं. पार्थिव सुपुर्द करते समय स्वर्गीय पुराम के परिवारजन उपस्थित थे. इनमें उनके पुत्र आनंदराव खुशाल पुराम, चोपराम खुशाल पुराम, दामाद रामकृष्ण येलणे सहित अन्य परिजन और ग्रामवासी मौजूद थे. इस तरह के कार्य से समाज के लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का और भी भूमिका जागृत होते हैं और जीवित रहने के बाद ही नहीं मरणोपरांत भी सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं.

हर्षवर्धन कॉलेज में केंद्र शासन के नए नियमानुसार पैरामेडिकल कोर्स के प्रवेश शुरू

बुलंद गोंदिया। गोंदिया की हर्षवर्धन कॉलेज ऑफ़ आईटी, साइंस, आर्ट में केंद्र शासन के नए नियमानुसार पैरामेडिकल कोर्स हेतु प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है की गोंदिया की हर्षवर्धन कॉलेज ऑफ़ आईटी, साइंस, आर्ट एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर से अधिकृत मान्यता प्राप्त है, जिसमें विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के साथ ही पैरामेडिकल कोर्स BCc MLT 3 वर्ष वह MSc.MLT 2 वर्ष के कोर्स पैथोलॉजी लैब चलने के लिए लैब टेक्नीशियन हेतु महत्वपूर्ण है। इन कोर्सों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नये नियम जारी किए गए हैं जिसमें राज्य काउंसिल के साथ नेशनल कमिशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशन कमिशन ऑफ़ इंडिया का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है।

NCAHP ACT 2021 के अनुसार अब सभी पैरामेडिकल कोर्स के लिए 2026-27 से,(B.Sc MLT; M.ScMLT) जैसे कोर्सेज के लिए नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। विशेष यह की डीएमएलडी कोर्स को काउंसिल द्वारा मान्यता नहीं दी गई है सिर्फ बीएससी एमएलटी वह एमएससी एमएलटी को ही मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार हर्षवर्धन पैरामेडिकल कॉलेज पांगोली रोड भीमघाट छोटा गोंदिया में प्रवेश शुरू है, इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के लिए 12वीं पास 3 वर्ष का कोर्स तथा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA पदवीधर के लिए दो वर्ष का कोर्स एवं बैचलर आप सोशल वर्कBSW 12वीं पास 3 वर्ष का कोर्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW 2 वर्ष का कोर्स के लिए प्रवेश शुरू है। इन सभी प्रवेश हेतु कॉलेज के कार्यालय में संपर्क का संपूर्ण जानकारी लेकर जल्द प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करें।

होम्योपैथी आम लोगों की पसंदीदा चिकित्सा पद्धति- अंजू कांबले-निमसरकर

विश्व होम्योपैथी सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित

बुलंद गोंदिया। होम्योपैथी को आम जनता के बीच इलाज की पसंदीदा पद्धति माना जाता है। जिला सूचना अधिकारी अंजू कांबले-निमसरकर ने बताया कि मरीज़ अक्सर यह राय ज़ाहिर करते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति में साइड इफ़ेक्ट (दुष्प्रभाव) कम होते हैं। विश्व होम्योपैथी सप्ताह के उपलक्ष्य में गोंदिया होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रही थीं। इस अवसर पर मंच पर डॉ. रोशन कांनतोडे (प्राचार्य, गोंदिया होम्योपैथी कॉलेज), डॉ. अक्षत अग्रवाल (दंत चिकित्सक), डॉ. वर्षा कांनतोडे और डॉ. प्राची अग्रवाल भी उपस्थित थे।

श्रीमती निमसरकर ने आगे कहा कि मानसिक बीमारियों, जोड़ों के दर्द, शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द और जटिल बीमारियों-विशेषकर बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारियों-के इलाज में होम्योपैथिक उपचार अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होते हैं। उन्होंने बताया कि दर्द निवारक जैसी दवाएँ हानिकारक हो सकती हैं, जबकि होम्योपैथिक दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। स्वाद में मीठी होने के कारण, बच्चे इन्हें आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और बड़े उत्साह के साथ खाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य प्रकार की दवाओं की तुलना में होम्योपैथिक दवाएँ अधिक किफायती होती हैं।

दंत चिकित्सक डॉ. अक्षत अग्रवाल ने बच्चों के दाँतों की उचित देखभाल कैसे करें, इस विषय पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दाँतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दिन में दो बार-एक बार सुबह और एक बार रात में-दाँतों में ब्रश करना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. वर्षा कांनतोडे ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। गोंदिया में स्थित इस क्र॥.रूस. कॉलेज की स्थापना 10 अगस्त, 1989 को हुई थी। इस संस्थान की स्थापना में पूर्व मंत्री महादेवराव शिवंकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कॉलेज में एक बाह्य रोगी विभाग भी है, जहाँ इलाज के इच्छुक मरीज़ों की नियमित जाँच की जाती है और उन्हें चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि होम्योपैथिक उपचार के माध्यम से मरीज़ों के स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से सुधार देखने को मिल रहा है।

इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. इनसीयाऔर डॉ. मेघा खोबरागड़े ने किया। गोंदिया होम्योपैथी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रोशन कांनतोडे ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में डॉ. भाग्यश्री, डॉ. पुरी, डॉ. प्राची, डॉ. तिवारी, डॉ. मेघा खोबरागड़े और डॉ. खुशी तेजवानी सहित गोंदिया होम्योपैथी कॉलेज के बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे।

गोंदिया गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने पालक मंत्री से की सौजन्य भेंट, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन रहे विशेष रूप से उपस्थित

गोंदिया-श्री इंद्रनील नाईक (जिला पालक मंत्री) से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गोंदिया की प्रबंध समिति एवं सिख प्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर श्री राजेंद्र जैन (पूर्व विधायक) विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मार्ग, रेलटोली की प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह भाटिया, सचिव सरदार हरजीत सिंह जुनेजा, समाजसेवी एवं सिख प्रतिनिधि इंजीनियर जसपाल सिंह चावला सहित अन्य उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने पालक मंत्री का सम्मान करते हुए गुरुद्वारा साहिब से संबंधित आवश्यक सुविधाओं एवं सहयोग के विषय में चर्चा की और एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। पालक मंत्री ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। यह सौजन्य भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

सामूहिक विवाह समाज में समानता और संस्कारों का उदाहरण : अग्रवाल

कामठा कामाला में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन

गोंदिया-सामूहिक विवाह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह समाज में समानता, सहयोग और संस्कारों का अद्भुत उदाहरण है। ऐसे उद्गार ग्राम कामठा में हाल ही में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह में पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक नानाभाऊ पटोले, भंडारा-गोंदिया जिले के सांसद डॉ. प्रशांत पटोले, गड़चिरोली जिले के सांसद डॉ. नामदेवराव किरसान, पूर्व सांसद मधुकर कुकडे, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व विधायक हेमंत भाऊ पटले, जिला कांग्रेस पूर्व विधायक दिलीपभाऊ अध्यक्ष - बन्सोड, बालाघाट जिला परिषद अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, पूर्व विधायक सहेसराम कोरोटे, गोंदिया नप अध्यक्ष सचिन शेंडे, सालेकसा नप अध्यक्ष फुंडे, गोरेगांव नप अध्यक्ष तेजरामभाऊ बिसेन सहित गोंदिया भंडारा जिले के सर्वपक्षीय नेताओं ने भी विचार रखे एवं नवयुगलों को भेंट वस्तुएं दीं। कार्यक्रम में उमादेवी गोपालदास अग्रवाल, पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष विधायक नानाभाऊ पटोले, भंडारा-गोंदिया जिला सांसद डॉ. प्रशांत पटोले, गड़चिरोली जिला सांसद डॉ. नामदेवराव किरसान, पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व विधायक हेमंतभाऊ पाटले, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक दिलीपभाऊ बंसोड़, बालाघाट जिला परिषद अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, पूर्व विधायक सहेसराम कोरोटे, गोंदिया नगरपालिका अध्यक्ष सचिन शेंडे, सालेकसा नगरपालिका अध्यक्ष फुंडे, गोरेगांव नगरपालिका अध्यक्ष तेजराम भाऊ बिसेन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राधेलाल पाटले, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम (बाबा) काटरे, लहरी आश्रम के टुकड्याबाबा खरकाटे, पूर्व जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, पूर्व जि.प.अध्यक्ष नेतराम कटरे, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष वंदना काले, पार्षद अशोक (गप्पू) गुप्ता, राकेश ठाकुर, रूपेश नाशिने, शकील मंसूरी, अमर रंगारी, चंद्रकुमार चुटे, सुनील भालेरे, विजय रगड़े, तिरोड़ा कृउबास के पूर्व अध्यक्ष वाई. टी. कटरे सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।

अनुसूचित जाति वर्ग (SC) के 750 क्षमता के लड़के-लड़कियों के लिए गोंदिया में तीन छात्रावास मंजूर, 90 करोड़ की निधि से होगा निर्माण

विधायक विनोद अग्रवाल के प्रयास से आदिवासी एवं ओबीसी लड़के-लड़कियों हेतु भी नए छात्रावास का मार्ग प्रशस्त

बुलंद गोंदिया। अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के-लड़कियों के छात्रवास हेतु 500 लड़कियों की क्षमता की दो नई बिल्डिंग जिसकी लागत 60 करोड़ है उसे आरटीओ ऑफिस के पास स्थित पुराने छात्रावास की जगह मंजूर की है। जल्द ही इस पुरानी इमारत को डिस्मेंटल कर नए छात्रावास का भूमिपूजन मंत्री महोदय के हस्ते किया जाएगा। गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल जहां एक तरफ जल, सिंचन, आवास, बिजली, कृषि, सड़क के साथ आम व्यक्ति के विकास को लेकर निरन्तर कार्य कर रहे है। वही मुख्यालय में जिले के सुदूर इलाकों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आने वाले आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग एवं ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु हॉस्टल की समाधानकारक व्यवस्था न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर विधायक ने स्वयं इस बदहाल व्यवस्था का संज्ञान लेकर एससी, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए अधिक क्षमता वाले सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल निर्माण के लिए कटिबद्धता दिखाई थी। इसी का परिणाम है कि सरकार ने गोंदिया मुख्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के-लड़कियों के लिए 750 क्षमता के तीन छात्रवास निर्माण के लिए 90 करोड़ की राशि मंजूर करवाई है।

इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लड़कों के लिए 250 की क्षमता वाला नया छात्रावास मुरी में निर्माण होगा और जल्द ही इनके कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

विनोद अग्रवाल ने बताया कि, इसके अलावा ओबीसी हॉस्टल के लिए भी जगह मंजूर हो गई है। इसकी कार्रवाई छात्रावास हेतु अंतिम चरण में है। उसी प्रकार आदिवासी लड़के-लड़कियों के लिए भी जगह मंजूर है जिसका कार्य भी अंतिम चरण में है।आदिवासी वर्ग के लिए 125-125 लड़कियों की क्षमता वाला हॉस्टल कुड़वा स्थित दुग्ध प्रकल्प की जगह पर बनेगा। वही कुड़वा में ही 250- 125 लड़को की क्षमता वाला 375 क्षमता का होस्टल बनने का मार्ग भी प्रशस्ति पर है। ओबीसी का कुड़वा में 100-100 लड़कों का हॉस्टल मंजूर है जिसे 250-250 की लड़के-लड़कियों की क्षमता का करने का प्रयास जारी है। ये सभी कार्य इसी साल शुरू होकर जिला मुख्यालय में आदिवासी, एससी, ओबीसी हेतु पूर्ण सुविधायुक्त मालकी का छात्रावास पहली देने का प्रयास करने की जानकारी विधायक विनोद अग्रवाल ने दी।

तेज़ गर्मी के समय बाहर निकलने में सावधानी बरते - जिलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले

बुलंद गोंदिया। गोंदिया ज़िले में पारा दिन-ब-दिन चढ़ता जा रहा है, और अभी तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौजूदा लू (हीटवेव) को देखते हुए, हीटस्ट्रोक (लू लगने) की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले ने नागरिकों से अपील की है कि वे लू से खुद को बचाने के लिए उचित सावधानियां बरतें।

गोंदावले जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे। इस बैठक में ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंदम, उप जिलाधिकारी (सामान्य) मानसी पाटिल, उप जिलाधिकारी (चुनाव) विजय अवधाने, ज़िला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे, सभी उप-विभागीय अधिकारी और तहसीलदार, तथा विभिन्न अन्य विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

गोंदावले ने कहा कि ज़िले में तापमान अभी 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में यह और बढ़ सकता है। इसलिए, हर विभाग को सतर्क रहना चाहिए और लू के प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए कि हीटस्ट्रोक के कारण कोई जानमाल का नुकसान न हो। यह देखते हुए कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि वे अपने घरों में ग्रीन मैट (छाया देने वाले जाल) का उपयोग करें, क्योंकि इससे गर्मी की तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी।

गोंदावले ने आगे निर्देश दिया कि हर स्वास्थ्य संस्थान में एक समर्पित हीटस्ट्रोक वार्ड स्थापित किया जाए। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, नागरिकों के लिए आवश्यक सावधानी बरतना अनिवार्य है। यदि हीटस्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं, तो बिना किसी देरी के निकटतम अस्पताल में चिकित्सा उपचार लेना चाहिए। लू से बचाव के संबंध में जागरूकता पर्चे हर स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों पर हीटस्ट्रोक के मरीज़ों के लिए अलग चिकित्सा वार्डों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानीय अस्पतालों को (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। ह्रक्र पाउडर सहित आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि कमज़ोर समूहों, जैसे छोटे बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बुज़ुर्गों और मज़दूरों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

आमतौर पर, ज़्यादातर सरकारी दफ़्तर जनता के आने-जाने के लिए दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच का समय तय करते हैं। हालाँकि, मौजूदा गर्मी के मौसम को देखते हुए, नागरिकों के आने-जाने का समय बदलकर सुबह 10.00 बजे से 11.00 बजे या शाम 5.00 बजे से 6.00 बजे के बीच कर देना चाहिए। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों का समय भी सुबह के समय रखने के निर्देश दिए।

क्या करें-दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। खूब पानी पिएँ। धूप में बाहर निकलते समय टोपी पहनें या अपने सिर को रुमाल से ढक लें। नींबू पानी या छाछ पिएँ। सफ़र करते समय अपने साथ पानी रखें। हल्के वज़न वाले, हल्के रंग के और ढीले-ढाले कपड़े पहनें। धूप में निकलते समय धूप का चश्मा, छाता और जूते-चप्पल पहनें। पालतू जानवरों को छाँव में और ठंडी जगह पर रखें। गीले पर्दे, पंखे या एयर कूलर का इस्तेमाल करके अपने घर को ठंडा रखें।

क्या न करें-जहाँ तक हो सके, दिन के सबसे गर्म घंटों में बाहर जाने से बचें। धूप में ज़ोरदार शारीरिक मेहनत करने से बचें। छोटे बच्चों को कभी भी खड़ी गाड़ियों के अंदर अकेला न छोड़ें। गहरे रंग के या कसे हुए कपड़े पहनने से बचें। दिन के सबसे गर्म समय में खाना बनाने से बचें; सुनिश्चित करें कि रसोई में हवा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था हो। शराब, चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से बचें। बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना या बासी खाना न खाएँ। यह जानकारी इस अवसर पर दी गई एक प्रस्तुति के माध्यम से दी गई।

CBSC 10th बोर्ड परीक्षा में शादाब क़ुरैशी ने बनाया रिकॉर्ड, 96 प्रतिशत अंक किए प्राप्त

बुलंद गोंदिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 10वीं कक्षा के रिजल्ट में ऑनलाइन जारी हुए जिसमे गोंदिया के सामाजिक कार्यकर्ता ईरशाद कुरैशी के छोटे बेटे शादाब कुरैशी ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे जिले में बेहतर प्रदर्शन नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि गत वर्ष उनके बड़े भाई हफ़िज़ ने 12 th CBSE में 84 प्रतिशत अंक लेकर स्कूल का नाम रोशन किया था, अब शादाब ने भी जी-जान लगाकर पढाई की और 10th CBSE में 96 प्रतिशत अंक लेकर स्कूल का और माता-पिता का नाम रोशन किया है। शादाब इरशाद कुरैशी गोंदिया पब्लिक स्कूल के छात्र है। उनके 10th CBSE में टॉप करने पर जहां स्कूल के संचालक टीम ने बधाई दी,वहीं समाज में इस होनहार युवक को उसके उज्ज्वल भविष्य को लेकर बधाइयां मिल रही है।

4 मई को ज़िला-स्तरीय लोकशाही दिन

बुलंद गोंदिया। ज़िले में, हर महीने के पहले सोमवार को आम जनता के लिए लोकशाही दिन का आयोजन किया जाता है। मई महीने के लिए, लोकशाही दिन कार्यक्रम पहले सोमवार-विशेष रूप से 4 मई, 2026-को सुबह 11:00 बजे निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम ज़िलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले की अध्यक्षता में, जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। लोकशाही दिन के अवसर पर, ज़िलाधिकारी स्वयं नागरिकों की शिकायतों, कठिनाइयों और समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों के ज़िला-स्तरीय प्रमुखों को इन मामलों के संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। कलेक्टर कार्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में, केवल उन्हीं नागरिकों से लोकशाही दिन में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें, कठिनाइयाँ और समस्याएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, जिन्होंने कम से कम 15 दिन पहले अपने आवेदन जमा कर दिए हैं। निवासी उप कलेक्टर भैय्यासाहेब बेहेरे ने ज़िले की समस्त जनता से इस जानकारी को संज्ञान में लेने की अपील की है।

वृद्ध पर लाठी से प्रहार

गोंदिया-डुग्गीपार थाने के तहत बकी निवासी 65 वर्षीय फिर्यादी महिला अपने देवर के साथ बातचीत कर रही थी. आरोपी भारत वलगू कांबले (50) ने मेरी बात करती है ऐसा कहते हुए गालीगलौज की. फिर्यादी के लड़के ने मेरी मां को गालीगलौज क्यों कर रहे हो ऐसा कहा. जिस पर आरोपी ने उसके साथ धक्का-मुक्की की. फिर्यादी बीच-बचाव करने आई तो उसके सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया. डुग्गीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

अत्याचार प्रभावित परिवारों को नौकरी से मिली नई उम्मीद - पालकमंत्री इंद्रनील नाईक

गोंदिया जिले में 8 पात्र वारिसों को ग्रुप-डी वर्ग के चपरासी पद के नियुक्ति पत्र वितरित

बुलंद गोंदिया।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधित अधिनियम 2015) तथा नियम 1995 व संशोधित नियम 2016 के अंतर्गत, अत्याचार के कारण मृत्यु हुए व्यक्तियों के परिवार के एक पात्र सदस्य को शासकीय नौकरी देने का शासन का संकल्प है। इसी के तहत परिवारों को नौकरी के माध्यम से जीवन जीने की नई उम्मीद मिली है, ऐसा प्रतिपादन जिले के पालकमंत्री इंद्रनील नाईक ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में किया।

यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा नियोजन सभागार में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल, जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, समाज कल्याण समिति सभापति रजनीताई कुंभरे, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के अध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (नि.श्रे.) प्रदीप कुलकर्णी, उपजिलाधिकारी (सामान्य प्रशासन) मानसी पाटील, आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी उमेश काशिद, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, जिला नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी किर्तीकुमार कटरे उपस्थित थे।

पालकमंत्री नाईक ने आगे कहा कि अत्याचार के कारण परिवारों को जो क्षति सहन करनी पड़ती है, उसकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन शासन ने उनके घावों पर मरहम लगाने का कार्य अवश्य किया है। इसी के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को शासकीय विभाग में ग्रुप-डी पद पर नियुक्ति दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि नियुक्त कर्मचारी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ देश सेवा भी करेंगे।

कार्यक्रम का प्रास्ताविक समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर ने किया, जबकि संचालन एवं आभार समाज कल्याण निरीक्षक स्वाती कापसे ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

गोंदिया जिले में 8 पात्र वारिसों को ग्रुप-डी वर्ग के 'चपरासी' पद के नियुक्ति पत्र हर्ष छेदीलाल इमलाह, संगीता भीमराज कुंभरे, देलेंद्र टोलूराम बेलबंशी, दिनेश श्रीराम दरवडे, आर्यन कृष्णकुमार मेश्राम, रजनी मनोहर घमगाये, निकिता अर्पित उके तथा दिशा निशांत मेश्राम को पालकमंत्री इंद्रनील नाईक के हाथों वितरित किए गए।

जिलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले ने स्वास्थ उपकेंद्र नवेगांवबांध को दी आकस्मिक भेट

बुलंद गोंदिया। जिलाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले ने अर्जुनी मोरगांव तहसील के नवेगांवबांध स्वास्थ उपकेंद्र का आकस्मिक भेट दिया और हेल्थ इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जाने वाली हेल्थ सर्विसेज़ और सुविधाओं का इंस्पेक्शन किया। इस समय, उनके साथ तहसीलदार अनिरुद्ध कांबले औरउमेद बचत गट के व्यवस्थापक उपस्थित थे। भेंट के दौरान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नवेगांवबांध की आरोग्य सेविका माया नागपुरे से प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाने वाली हेल्थ सर्विसेज़ और दी जाने वाली सर्विसेज़, डिलीवरी के लिए रेफरल सर्विसेज़, एनीमिया, SAM/MAM बच्चों को दी जाने वाली प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज़, हाई-रिस्क मांओं और बच्चों के रेगुलर वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली गई। आशा वर्कर यशोधरा डोंगरे से गांव-लेवल पर घर-घर जाकर दी जाने वाली सर्विसेज़ के बारे में जानकारी ली गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर युगा नाकाड़े ने आउटपेशेंट एग्ज़ामिनेशन रजिस्टर का इंस्पेक्शन किया। इस दौरे के दौरान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर और बाहर की जगह की साफ़-सफ़ाई, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट के दौरान मरीज़ों को दी जाने वाली सुविधाओं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का रिव्यू, दवाइयों का स्टॉक वगैरह के बारे में निर्देश दिए गए ताकि मरीज़ों को अच्छी क्वालिटी की सुविधाएँ मिल सकें, सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को ठीक से लागू किया जा सके, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके और गर्मियों में हीट स्ट्रोक और महामारी से बचाव के उपाय लागू किए जा सकें।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से मधुमित्र और मधुसखी पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित

बुलंद गोंदिया। महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड वर्ष 2026 के लिए मधुमित्र और मधुसखी पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पुरस्कार योजना की शुरुआत बोर्ड द्वारा तीन वर्ष पूर्व की गई थी। बोर्ड ने इस पहल की शुरुआत मधुमक्खी पालन उद्योग को गति प्रदान करने और मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के अंतर्गत, उन सफल मधुमक्खी पालकों को-जो कई वर्षों से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं-प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों में से एक पुरस्कार विशेष रूप से किसी महिला मधुमक्खी पालक के लिए आरक्षित है। पुरस्कार की राशि प्रथम स्थान के लिए ?11,000, द्वितीय स्थान के लिए ?7,000 और तृतीय स्थान के लिए ?5,000 निर्धारित है। ये पुरस्कार 20 मई, 2026 को पुणे जिले में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रदान किए जाएँगे; यह अवसर विश्व मधुमक्खी दिवस के साथ मेल खाता है। इन पुरस्कारों से संबंधित लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट= www.mskvib.org पर उपलब्ध है। इस उद्देश्य हेतु नामांकन पत्र प्रत्येक जिले में स्थित खादी बोर्ड के जिला कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने नामांकन 4 मई, 2026 को या उससे पूर्व बोर्ड के जिला कार्यालय में जमा करा दें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया जिला कार्यालय में स्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से टेलीफोन क्रमांक 07182-231770 पर, अथवा निदेशालय (शहद) [महाबलेश्वर कार्यालय] के निदेशक से टेलीफोन क्रमांक 02168-260264 पर संपर्क करें। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, श्री देवीपुत्र द्वारा प्रदान की गई।

पालकमंत्री ने जानी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

गोंदिया- सोमवार, 20 अप्रैल को जिले के दौरे पर आए जिले के पालकमंत्री इंद्रनील नाईक ने शासकीय विश्रामगृह में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इस अवसर पर पालकमंत्री ने कार्यकर्ताओं के कथन व समस्याएं सुनीं. उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सांसद प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन से जिले की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का प्रयास करूंगा. इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिला अध्यक्ष प्रेमकुमार राहंगडाले, नरेश माहेश्वरी, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर सहित जिले के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक, सभी सेल के जिला अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर परिषद सदस्य व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे.

तहसीलदार निवास बना हुआ है अब सफेद हाथी

सड़क अर्जुनी-तहसील कार्यालय के पास तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए निवास 2017-18 में बनाया गया था. 6 वर्ष बीत गए, फिर भी कोई तहसीलदार उस निवास में नहीं रहा है, और आज वह भवन शोपीस बनकर रह गया है. सरकार हमेशा तहसीलदारों को कार्यालय स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपये खर्च करती है, ताकि वे मुख्यालय में रह सकें और नागरिकों का काम सुचारू रूप से हो सके. सड़क अर्जुनी शहर में भी इसी तरह का भवन छह वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन कोई तहसीलदार उस भवन में रहने को तैयार नहीं हुआ. उसके आसपास जंगल उग आया है. पिछले सात-आठ वर्षों में छह तहसीलदार आए और गए, लेकिन शहर में रहने की आदत के कारण कोई वहां रहने को तैयार नहीं है. गरीबों के पैसे से किया गया यह खर्च बर्बाद हो रहा है.

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया-४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित । संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र.९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया ।